

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-05/2012/श्रीगंगानगर

1. श्रीमती गुरविन्द्रकौर पत्नि जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी अकांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. परविन्द्रकौर पत्नि जसवीरसिंह जाति जटसिख निवासी अकांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ...प्रार्थीयांगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. अमनदीपसिंह पुत्र मुख्यारसिंह जाति जटसिख निवासी अकांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. रणजीतसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अकांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री प्रशांत सोनी

...प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक

..अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से

तलबी की आवश्यकता नहीं मानी गयी

..अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3

निर्णय दिनांक : 11.01.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर, (मुद्रांक) हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा गया है) के आदेश दिनांक 02.11.2011 प्रकरण संख्या 393/2010 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि बंतसिंह-डिप्टीसिंह व भूरसिंह पुत्रगण स्व. शेरसिंह के नाम से चक 22 एल.एन.पी. में 6.842 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। बंतसिंह-डिप्टीसिंह तथा भूरसिंह ने अपनी 6.842 हेक्टर भूमि में से 6.804 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण सं. 1 व 2 व शेष 0.038 हेक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 को 13,50,000 रुपये में विक्रय कर दी। विक्रेतागण ने प्रश्नागत भूमि के विक्रय दस्तावेज सं. 1596 को रजिस्टर्ड करवाने हेतु

2m

लगातार.....2

उपपंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 17.05.04 को प्रस्तुत किया। दस्तावेज 13,50,000 रुपये के आधार पर समुचित स्टाम्प पर प्रस्तुत किया गया था। उपपंजीयक ने धारा 47-डी के तहत प्रश्नागत सम्पत्ति का बाजार मूल्य 14,74,200 रुपये निर्धारित कर मुद्रांक कर 81090 रुपये निर्धारित किया। प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित मुद्रांक कर अदा कर दिया गया। उपपंजीयक ने दस्तावेज सं. 1596 को दिनांक 18.05.04 को रजिस्टर्ड कर दस्तावेज सं. 1596 प्रार्थीगण को लौटा दिया। तत्पश्चात् लेखा जांच दल ने दस्तावेज सं. 1596 पर 11 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूल करने के निर्देश उपपंजीयक को दिये। उपपंजीयक ने धारा 51(5) अधिनियम 1998 के तहत रेफरेन्स सं. 363/05 न्यायालय कलक्टर स्टाम्प हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्वान कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 09.11.05 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार कर प्रार्थी सं. 1 व 2 से 81200 रुपये वसूल करने के आदेश दिये। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं 1028/2008 श्रीमती गुरुविन्दर कौर पत्नि श्री जगसीर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एवं एस. बी.सिविल मिसलेनियस एप्लिकेशन नं. 57/08 श्रीमती गुरुविन्दर कौर पत्नि श्री जगसीर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णयों के क्रम में निर्णय दिनांक 09.11.05 से व्यथित होकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने माननीय कर मण्डल राजस्थान के समक्ष निगरानी सं. 1273/08/मुद्रांक/श्रीगंगानगर अनवानी श्रीमती गुरुविन्दरकौर आदि बनाम स्टेट प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने इन निर्णयों में निगरानी हेतु सक्षम स्तर पर निगरानी प्रस्तुत करने हेतु पिटीशनर को निर्देशित किया था। माननीय कर मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 19.04.10 द्वारा निर्णय स्वीकार कर प्रकरण कुछ निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड प्रकरण सं. 393/10 को अपने निर्णय दिनांक 02.11.11 द्वारा निर्णय कर अपना पूर्व प्रसारित निर्णय दिनांक 09.11.05 को यथावत रखते हुये प्रकरण को निर्णित कर दिया। कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 02.11.11 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आयें। निगरानीकर्ता ने निगरानी के पैरा संख्या 9 में यह स्पष्ट किया था कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 नुमाईशी अप्रार्थीगण है जिन्हे तलबी की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता के इस आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की तलबी की आवश्यकता नहीं होने के कारण इन्हें तलब नहीं किया गया है क्योंकि इनके खिलाफ कोई अनुतोष भी वांछित नहीं हैं

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने कथन किया कि निगरानीधीन निर्णय विधि विरुद्ध, विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है। इसलिये निगरानीधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। विद्वान कलक्टर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में पूर्णतया असफल रहे है। प्रार्थी सं. 1 व 2 ने विक्रेतागण से 6.804 हेक्टर तथा प्रार्थी सं. 3 व 4 ने 0.038 हेक्टर भूमि क्रय की। प्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा एक निश्चित हिस्सा खरीद किया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा एक निश्चित हिस्सा खरीद किया गया। प्रत्येक खरीददार अपने हिस्सानुसार कृषि भूमि के मालिक हुये। प्रत्येक खरीददार द्वारा अपना हिस्सा के अनुसार प्रतिफल का भुगतान किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खरीद के अनुसार ही अंकन हुआ। प्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा 6.804 हेक्टर भूमि खरीद की गई। राज्य सरकार के [Noti. No. P.2 (11) fi/Tax/2003 - 100, dt. 14-01-2004 - Raj. Gaz., Pt. iv - C (ii), dt. 15-01-2004, P.3 11 (1)] द्वारा द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 23 के तहत महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क 50 प्रतिशत घटाकर प्रभारित कर दिया गया। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नागत सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है। उपपंजीयक ने धारा 47-डी के तहत प्रश्नागत सम्पत्ति का बाजार मूल्य 14,74,200 रुपये निर्धारित कर दिया। विद्वान कलक्टर ने भी प्रश्नागत सम्पत्ति का बाजार मूल्य 14,74,200 रुपये निर्धारित किया है। वर्तमान प्रकरण का मुख्य

2m

विवाद बिन्दु यह कि क्या प्रार्थी सं. 1 व 2 जो महिला है। उनके द्वारा खरीद की गई 6.804 हेक्टर भूमि पर अधिसूचना दिनांक 14.01.04 के तहत छूट प्रदान की जायेगी अथवा नहीं। विद्वान कलक्टर के निर्णय का मुख्य आधार यह कि प्रार्थी सं. 1 व 2 ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 के साथ संयुक्त रूप से विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिये प्रार्थी सं. 1 व 2 को छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। विद्वान कलक्टर का यह निष्कर्ष विधि के प्रावधानों के विपरीत हैं। संयुक्त दस्तावेज से तात्पर्य यह कि खरीद की गई सम्पत्ति बहिस्सा बराबर खरीद की गई हो। वर्तमान पकरण में प्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा एक विशेष हिस्सा 6.804 हेक्टर व अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा एक विशेष हिस्सा 0.038 हेक्टर खरीद किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई भूमि संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर में नहीं खरीद की गई है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रय पत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया हैं। इन्होंने यह भी कथन किया कि आर.बी.जे. 2008 पेज 07 में यह अवधारित किया गया है कि ऑडिट आक्षेप के आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये स्वीकार किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार कर रेफरेन्स खारिज किया जावें।

7. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज की जावें।

8 हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :-

9. प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग (कर अनुभाग) की अधिसूचना सं. प.2(11)वित्त/कर/2003-110 जयपुर दिनांक 14.01.2004 का लाभ प्रश्नगत दस्तावेज पर देय है या नहीं।

प्रश्नगत दस्तावेज से प्रार्थीयागण सं. 1 व 2 जो कि महिलाएं हैं, ने विक्रेतागण से 6.804 हेक्टर तथा अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 जो कि पुरुष हैं, ने 0.038 हेक्टर भूमि क्रय की हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दस्तावेज में हांलाकि क्रय की गई भूमि का हिस्सा अलग-अलग हैं व महिलाओं का ज्यादा है व पुरुषों का बहुत कम हैं, परन्तु संयुक्त रूप से एक ही दस्तावेज से भूमि क्रय की

2m

गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित भाग निम्न प्रकार हैं " 2. द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल-23 के तहत महिलाओं के पक्ष में " स्थावर सम्पत्ति" हस्तान्तरण के दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क " घटाकर 4 प्रतिशत " प्रभारित किया जायेगा। " यहां उल्लेखनीय है कि दस्तावेज पंजीयन की दिनांक 17.05.04 के समय उपरोक्त प्रावधान में 4 प्रतिशत के स्थान पर 5.50 प्रतिशत था। इस प्रावधान में ऐसे दस्तावेजों पर ही छूट का प्रावधान है जो महिलाओं के पक्ष में निष्पादित किया गया हो। यदि दस्तावेज महिला के साथ-साथ पुरुष के पक्ष में भी निष्पादित किया गया है तो वह संयुक्त दस्तावेज की श्रेणी में आता है तथा उपरोक्त प्रावधान में महिला एवं पुरुष दोनों के नाम संयुक्त दस्तावेज पर छूट का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि दस्तावेज में महिलाओं के नाम हिस्सा स्पष्ट है व ज्यादा है तथा पुरुषों के नाम हिस्सा काफी कम है परन्तु सम्पत्ति संयुक्त स्वामित्व की होने के कारण दस्तावेज अकेले महिला के पक्ष में नहीं माना जा सकता। इस संबंध में स्थिति को प्रशासनिक विभाग महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ने भी अपने परिपत्र संख्या 2/4 के बिन्दु संख्या 4(क) में स्पष्ट किया था कि यदि अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का दस्तावेज पुरुष/महिला के पक्ष में संयुक्त रूप से क्रय करने के लिये निष्पादित किया गया है तो उपरोक्त अधिसूचना द्वारा की गई रियायत का लाभ देय नहीं है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार महिलाओं के पक्ष में ही निष्पादित हस्तान्तरण दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क की रियायत दी गई है। इस प्रकार दस्तावेज में सम्पत्ति अलग व स्पष्ट होने के बावजूद भी दस्तावेज संयुक्त होने के कारण छूट का लाभ देय नहीं है।

10. जो भी हो विभाग के परिपत्र पर ध्यान दिये बिना यदि राज्य सरकार की अधिसूचना की भावना के संदर्भ में विचार किया जावे तो संबंधित अधिसूचना भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें राज्य सरकार को देय मुद्रांक कर में छूट देने का प्रावधान है। सामान्य तौर पर राज्य सरकार ऐसी छूटे लोकहित में देती हैं। महिलाओं के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर मुद्रांक कर में छूट देने का उद्देश्य महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार देने को प्रोत्साहित

2m

करना व महिला सशक्तिकरण हैं। महिला के पक्ष में सम्पादित दस्तावेज से महिला का ही सम्पत्ति में सम्पूर्ण अधिकार निहित होता है। यदि सम्पत्ति महिला एवं पुरुष दोनों के नाम संयुक्त रूप से है तो स्वामित्व एवं उपभोग संयुक्त रूप से होगा तथा अकेली महिला उस सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग करने हेतु स्वतंत्र नहीं होगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार की अधिसूचना की भावना देखी जाये तो छूट का लाभ ऐसे दस्तावेज पर ही देय है जो महिला के पक्ष में निष्पादित किया गया हो तथा यदि कोई दस्तावेज महिला एवं पुरुष एवं दोनों के नाम संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है तो ऐसे दस्तावेज पर छूट का लाभ दिये जाने की भावना इस अधिसूचना में नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पर देय नहीं है।

11. निगरानी में प्रार्थीयागण का यह भी कथन है कि आर.बी.जे. 2008 पेज 07 में यह अवधारित किया गया है कि ऑडिट आक्षेप के आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये स्वीकार किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने आंतरिक लेखा जांच दल द्वारा किये गये आक्षेप के आधार पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(4) के प्रावधानानुसार प्रस्तुत रेफरेन्स पर विधिक विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया गया है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है।

12. विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने शास्ति राशि रु. 4080/- आरोपित की है जबकि शास्ति आरोपित करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि प्रार्थीयागण द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया था तथा यदि मुद्रांक कर में कोई छूट प्रदान करने में कोई त्रुटि हुई है तो उसमें प्रार्थीयागण की कोई भूमिका नहीं है।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश शास्ति की सीमा तक अपास्त किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम
(नत्थूराम) 11/11/12
सदस्य